वादपत्र संख्या 72/2012

अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. श्रीमती रणजीत कौर पत्नी स्व. श्री पूर्णसिंह पुत्र स्व. श्री इन्द्रसिंह जाति मजहबी सिख निवासी मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. कुलवंत सिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति मजहबी सिख निवासी वी.पी.ओ. मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर

— — वादीगण

बनाम

1. प्रताप सिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति मजहबी सिख निवासी मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर
3. श्रीमती बलवीरकौर,
4. श्रीमती राजकौर,
5. श्रीमती दलवीरकौर,
6. श्रीमती सुखविन्द्रकौर एवं
7. श्रीमती जोगेन्द्रकौर आत्मजन स्व. श्री इन्द्रसिंह, मजहबी, मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

— — प्रतिवादीगण

उपस्थित— श्री हंसराज तनेजा (वादीगण)
श्री राजकुमार नागपाल (प्रतिवादी—3से7)
पैरोकार राज (प्रतिवादी—2)

दिनांक 27.02.2018

— निर्णय —

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादी सं. 1 के ससुर व 2 के पिता स्व. इन्द्रसिंह व उसके पिता अमरसिंह पुत्र झंडा सिंह के नाम से चक 15 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 64/58 मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1, ता 25 कुल 6.197 हैक्टर नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अमर सिंह पुत्र झंडा सिंह का देहान्त हो चुका है तथा इसका एकमात्र जायज वारिस इन्द्रसिंह ही है। अतः वह उक्त समस्त रकबा का हकदार पिता के देहान्त के बाद बना (1/2 हिस्सा अमर सिंह व 1/2 हिस्सा इन्द्र के नाम से था व अमर सिंह का देहान्त होने से उसके 1/2 हिस्सा का इन्द्र सिंह वारिस बना) इन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह की मृत्यु दिनांक 10 अगस्त 2003 को हो चुकी है। उसके वारिस उसके 3 पुत्र पूर्ण सिंह, कुलवन्तसिंह व प्रतापसिंह उर्फ लाडु हुए इस प्रकार से तीनों उक्त आराजी 6.197 हैक्टर के बहिस्सा बराबर—2 के वारिस व हकदार हुए। पूर्णसिंह का देहान्त दिनांक 14.12.2007 को हो चुका है, उसके 1/3 हिस्सा का वारिस व हकदार वादिया संख्या 1 हुई इसी प्रकार से कब्जा उक्त आराजी मुरब्बा नम्बर 24 के 6.197 हैक्टर के 2/3 हिस्सा पर वादीगण का व 1/3 हिस्सा पर प्रतिवादी 1 का चला आ रहा है। वादीगण ने अपने अपने कब्जा काश्त की भूमि में काफी मेहनत व रूपया लगा कर सुधारा है तथा कीमत बढ़ गई है अब प्रतिवादी 1 के मन में गलत लालच आ गया है तथा वह वादीगण को ना केवल जबरन बेदखल करना चाहता है बल्कि वह अपने हक से अधिकांश भूमि का बेचान करना चाहता है उसने बातचीत कर ली है तथा वह इकरारनामा कर रहा है इन हालात में अगर वह अपने इस गलत मक्सद में सफल हो जाता है तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः वादीगण उक्त खाता की उक्त भूमि में से अपना अपना 1/3 हिस्सा

1/3 हिस्सा यानी दोनों का 2/3 हिस्सा की घोषणा कर दर्ज करवाने तथा अपने हिस्सा की भूमि के बाबात स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी करवाने के हकदार है। अतः यह दावा लाना जरूरी हो गया है। हमारे कब्जा काश्त में चक 15 एफ बडा के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 ता5, 8, 12, 21 वादिया के किला न. 16 ता 20, 6, 23, 25 का 16 बीघा रकबा चला आ रहा है। आज भी कब्जा काश्त में ही है तथा वह यही रकबा रख पाने के हकदार भी है विभाजन होने पर भी पाने के हकदार है। प्रतिवादी ने गत सप्ताह भी दो बार हमारे शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त में मदाखलत करने की कोशिश की मगर सफल नहीं हो सका अब रोकने पर दिनांक 28 मार्च 2012 को ना केवल साफ इन्कारी है बल्कि उसने ऐलानिया कहा है कि वह असमाजिक तत्वों की सहायता से वादीगण को बेदखल करके कब्जा करेगा रकबा को मुन्तकिल करेगा। अतः यही बिनाए मुखासमत है तथा दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है। वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर डिक्री निम्न प्रकार से किये जाने का निवेदन किया है (क)डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावे कि चक 15 एफ बडा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 64/58 मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 ता 25 कुल 6.197 हैक्टर नहरी में 1/2 हिस्सा जो अमर सिंह के नाम से दर्ज है उसके देहान्त के बाद इन्द्रसिंह हकदार हुआ। अतः समस्त रकबा का अकेला हकदार बना तथा इन्द्रसिंह के देहान्त के बाद उसके उक्त रकबा में से वादिया का अपने मृतक पति पूर्ण सिंह का 1/3 हिस्सा जो मिला की हकदार है तथा वादी संख्या 2 भी 1/3 हिस्सा का हकदार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। (ख) डिक्री अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जावे कि प्रतिवादीगण के 2/3 हिस्सा यानी वाद पत्र की मद में अंकित आराजी में किसी प्रकार से कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग में मदाखलत करने स्वयं अथवा अन्य किसी की सहायकता से जबरन बेदखल करने से बाज व ममनू रहे। विभाजन हो सकने की सूरत में विभाजन करवाया जाकर उक्त रकबा वाद पत्र की मद 4 ही वादीगण के नाम से दर्ज किया जावे व उसमें प्रतिवादी मदाखलत बेजा करने से बाज व ममनू रहे।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांक 12 जुलाई, .2013 आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार स्वर्गीय श्री इन्द्रसिंह व अमरसिंह के नाम से चक 15 एफ–ा बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 64/58 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 से 25 कुल 6.197 हैक्टर की बाबत धारा 88, 91, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश है। वादीगण प्रतिवादीगण ने मृतकगण श्री अमरसिंह पुत्र श्री झण्डासिंह, श्री इन्द्र सिंह का वारिस होना दिखाया है और दावा में वर्णित भूमि का 1/3, 1/3 हिस्सा के अनुसार हक घोषित करने हेतु दावा पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा मे न्यायालय में गलत तथ्य पेश किये है। मृतक स्व. श्री इन्द्रसिंह के तीन वारिस न होकर 8 वारिस है। वारिसान का प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत मटीली राठान द्वारा जारी किया गया है। मृतक अमर सिंह पुत्र श्री झण्डासिंह व इन्द्रसिंह पुत्र श्री अमरसिंह के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीगण प्रथम श्रेणी के वारिस है और दावा में वर्णित आराजी में प्रत्येक प्रार्थीयान का 1/8, 1/8 हिस्सा बनता है। दावा में वर्णित भूमि में प्रार्थीयान का हक है। इस कारण प्रार्थीयान दावा में आवश्यक पक्षकारान है। इस प्रकार आवेदकगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 8 बनाया जाने का निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में सरपंच, ग्राम पंचायत, मटीलीराइान द्वारा जारी वारिस प्रमाणपत्र दिनांक 5 नवम्बर, 2012 की चित्रित प्रति सलंग्न प्रस्तुत की गयी. जिस पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 09 मई, 2014 द्वारा आवेदनपत्र स्वीकार किया जाकर आवेदकगण को प्रतिवादी स्थापित किया गया.

प्रतिवादी संख्या 1 को तलबी हेतु जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त होने पर भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर आदेश दिनांक 25.04.2015 द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 2 राज्यपक्ष की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार मामला पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद का है जिसमें राज्य सरकार के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। बाद सुनवाई राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निस्तारण किया जाना आवेदित है।

प्रतिवादी संख्या 3 से 7 की ओर से जवाब वादपत्र मय काउण्टरक्लेम दिनांक 30 मई, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार श्री इन्द्रसिंह की मृत्यु के तथ्य को स्वीकार करते हुऐ उसके तीन नहीं बल्कि 8 वारिस होने के तथ्य प्रस्तुत किये गये. मृतक श्री इन्द्रसिंह के नाम पर दर्ज मुरब्बा नम्बर 24 के 6.919 हैक्टर कृषि भूमि में आठों वारिस समभागी है. इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का प्रश्नगत कृषि भूमि में 1/3 भाग की अपेक्षा 1/8 हिस्सा बनता है जिसके अनुसार ही वे 1/8 हिस्सा पर काबिज हैं. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि को विक्रय करने बाबत प्रतिवादीगण को कोई ज्ञापन नहीं दिया गया व न ही वह प्रश्नगत कृषि भूमि को विक्रय करने का ही अधिकारी है. वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 7 प्रत्येक प्रश्नगत कृषि भूमि में 1/8 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है तथा इसी अनुरूप घोषणा करवाने के अधिकारी हैं. वर्तमान में प्रश्नगत कृषि भूमि संयुक्त रूप से दर्ज है जिसे प्रत्येक इन्च पर प्रत्येक सह खातेदार का अधिकारी है ऐसी स्थिति में सह खातेदार के विरूद्व किसी भी आश्य की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती. वादीगण चक 15 एफ–ा बड़ा के मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 1 से 5, किला नम्बर 8, 12, एवं 21, वादी संख्या 1 किला नम्बर 1, 16 से 20, 6, 23 एवं 25 कुल 16 बीघा पर न तो काबिज हैं व न ही प्राप्त करने के अधिकारी ही हैं. मृतक श्री अमरसिंह आत्मज श्री झण्डासिंह एवं श्री इन्द्रसिंह आत्मज श्री अमरसिंह के कुल 8 वारिसान हैं. चक 15 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 1 से 25 कुल 6.197 हैक्टर कृषि भूमि में प्रत्येक वारिस 1/8 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है इसी अनुरूप राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाना अपेक्षित है. इस प्रकार चक 15 एफ–ा के मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 1 से 25 की 6.197 हैक्टर कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 से 8 को कुल 1/8, 1/8 हिस्सा भूमि की घोषणा कर विभाजन करने का निवेदन किया गया.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद को निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यक निर्धारित किये गये –

1. आया कि चक 15 एफ बडा के खता सं.64/58 मु. नं. 24 की 6.197 हैक्टर नहरी में 1/2 हिस्सा जो अमरसिंह के नाम है। वादिया सं. 1 का मृतक पति पूर्णसिंह का 1/3 हिस्से का हकदार है वा वादिया सं. 2 को 1/3 हिस्सा कुल 2/3 हिस्सा वादीगण का है। जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे?
.... वादीगण

2. आया कि उक्त विवादास्पद भूमि में प्रतिवादीगण का 1/8, 1/8 हिस्सा है। जिसका खातेदार घोषित किया जावे?
.. प्रतिवादी

3. अनुतोष

वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 05.04.2013 की चित्रित प्रमाण्तिा प्रति सलंग्न प्रस्तुत की गयी. साक्ष्य प्रतिवादी हेतु श्रीमती बलवीरकौर द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया. साक्षीगण से परस्पर जिरह करवायी गयी. अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2064–2067(प्रदर्श–1), श्री इन्द्रसिंह का मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 25 अगस्त, 2003(प्रदर्श–2ए), श्री पूर्णसिंह का मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 12 जनवरी, 2008(प्रदर्श–3ए) प्रदर्श करवाये गये.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

विवाद्यक संख्या 1 – आया कि चक 15 एफ बडा के खता सं. 64/58 मु.नं. 24 की 6.197 हैक्टर नहरी में 1/2 हिस्सा जो अमरसिंह के नाम है। वादिया सं. 1 का मृतक पति पूर्णसिंह का 1/3 हिस्से का हकदार है वा वादिया सं.2 को 1/3 हिस्सा कुल 2/3 हिस्सा वादीगण का है। जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे? .... **वादीगण**

राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2064–2067(प्रदर्श–1) के अनुसार चक 15 एफ बड़ा के खाता संख्या 64/58 मुरब्बा नम्बर 24 की कुल 6.197 हैक्टर कृषि भूमि श्री अमरसिंह वल्द श्री झण्डासिंह ½ हिस्सा, श्री इन्द्रसिंह वल्द श्री अमरसिंह ½ हिस्सा दर्ज है. वादपत्र के तथ्यों के अनुसार श्री अमरसिंह की मृत्योपरान्त प्रश्नगत समस्त 6.197 हैक्टर कृषि भूमि श्री इन्द्रसिंह में निहित हो गयी तथा श्री इन्द्रसिंह की दिनांक 10 अगस्त, 2003(प्रदर्श–2ए) को मृत्योपरान्त कुल 8 वारिसान हैं जिनमें श्री पूर्णसिंह की मृत्योपरान्त उसकी धर्मपत्नी श्रीमती रणजीतकौर अपने पति के 1/8 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है. इसी अनुरूप श्री इन्द्रसिंह के शेष वारिसान प्रतिवादी संख्या 1, 3 से 7 प्रत्येक 1/8 हिस्सा प्राप्त करने के ही अधिकारी हैं. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 2 – आया कि उक्त विवादास्पद भूमि में प्रतिवादीगण का 1/8, 1/8 हिस्सा है। जिसका खातेदार घोषित किया जावे? ... **प्रतिवादीगण**

विवाद्यक संख्या 1 की विवेचना के अनुसार चक 15 एफ बड़ा के खाता संख्या 64/58 मुरब्बा नम्बर 24 की कुल 6.197 हैक्टर कृषि भूमि में मृतक श्री इन्द्रसिंह के उपलब्ध कुल 8 वारिसान प्रत्येक 1/8 हिस्सा प्राप्त करने एवं अपने अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी हैं. चूंकि वर्तमान में प्रश्नगत कृषि भूमि पुर्नवास विभाग से सम्बन्धित गैर खातेदारी दर्ज है जिसकी खातेदारी की घोषणा सक्षम अधिकारी द्वारा ही की जा सकती है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 2 प्रतिवादीगण के पक्ष में विनिश्चित की जाती है.

विवाद्यकों के विनिश्चय के अनुसार चक 15 एफ बडा के खता सं. 64/58 मु.नं. 24 की 6.197 हैक्टर कृषि भूमि के लिये श्री अमरसिंह की मृत्योपरान्त श्री अमरसिंह के नाम पर दर्ज कृषि भूमि श्री इन्द्रसिंह में निहित हुई, तदोपरान्त श्री इन्द्रसिंह की मृत्योपरान्त उनके 8 वारिसान में से उनके पुत्र श्री पूर्णसिंह की मृत्योपरान्त उसकी धर्मपत्नी श्रीमती रणजीतकौर अपने पति के 1/8 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है. इसी अनुरूप श्री इन्द्रसिंह के शेष वारिसान प्रतिवादी संख्या 1, 3 से 7 प्रत्येक 1/8 हिस्सा प्राप्त करने के ही अधिकारी हैं.

अधिकारी (राजस्व)

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र निरस्त किया जाता है तथा काउण्टरक्लेम स्वीकार किया जाता है तथा चक 15 एफ बडा के खता सं. 64/58 मु.नं. 24 की 6.197 हैक्टर कृषि भूमि के लिये वादी संख्या 1 से 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 से 7 प्रत्येक को 1/8 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी घोषित किया जाता है. यथा डिक्री जारी हो.

निर्णय अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 27 फरवरी, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर